न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 280 / 2018(2018 / 00537)

1. पोखर वल्द चतुर्भुज जाट।
2. श्योराज वल्द रामचन्द जाट
3. रामदयाल वल्द रामकुंवार जाट निवासीगण उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. रामलाल पुत्र श्री सुखदेव जाट।
2. शिवराज पुत्र माधु जाट।
3. धन्ना पुत्र श्री रामकिशन जाट निवासीगण उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
4. गणेश पुत्र श्री रामदेव जाट निवासी तसवारिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील केकडी।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–
प्रार्थी वकील :– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2070–73** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
87–89	938 953 955	0.23 0.30 0.38	चाही 2 चाही 2 चाही 2
	कुल किता 3	रकबा 0.91हैक्टर	

उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण की एकमात्र खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है जिसमे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। तथा न ही वास्ता व सरोकार है तथा प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध व गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत से हैरान व परेशान करते रहते है तथा आये दिन सीमा चिन्ह जीर्णशीर्ण होने की वजह से प्रार्थीगण की भूमि पर यानि अप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने पर आमादा रहते है। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने तथा जबरन बैदखल करने की धमकीयां देते है। पूर्व मे भी प्रार्थीगण ने कई बार सीमाज्ञान करवाया लेकिन अप्रार्थीगण नही माने इसलिए स्थायी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। दिनांक 10.09.2018 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात के पड़ौसी होने के कारण जानबूझकर पूर्वक अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने की धमकीयां देते हुए आये और प्रार्थीगण [illegible] करने पर लडाई झगडा करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

आमादा हो गये। तथा दिनांक 25.09.2018 को पुनः अप्रार्थीगण 1 लगायत प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात को जबरन उनके हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने लगे तब प्रार्थीगण ने मना किया तो नही माने इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त कृषि भूमि को नाप चोप कर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किया जाना प्रार्थनीय है ताकी प्रार्थीगण को बहुवाद कार्यवाहीयो मे नही उलझना पडे। इसलिए उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमाचिन्ह जिर्णशिर्ण व अदर्शनीय होने के कारण आये दिन अप्रार्थीगण बद्धनियति पूर्वक विवाद करते रहते है तथा उक्त वर्णित आराजीयात का नाप चोप कर स्थायी सीमा चिन्ह अंकित या स्थापित नही किये जाते है। तो प्रार्थीगण को अनेकानेक न्यायिक कार्यवाहीयो मे उलझना पडेगा तथा अपने हक हिस्से की आराजीयात से वंचित होना पडेगा। इसलिए उक्त आराजीयात पर स्थायी पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण सर्वप्रथम दिनांक 10.09.2018 एंव उसके पश्चात दिनांक 25.9.2018 को उपरोक्त वर्णित कारणों से उत्पन्न हुआ एंव अब दिन प्रतिदिन उपस्थित हो रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का नापचोप कर स्थायी पत्थर गढी करते हुए स्थायी सीमाचिन्ह तथा पत्थरगढ़ी आदेश प्रदान कराने का निवेदन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या नया पुराना 87–89 के खसरा नंबर 938,953,955 रकबा 0.23हैक्टर, 0.30हैक्टर, 0.38हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:58:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner